राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 432/2025

सरोज चाहर **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, श्री हितेश बिशनोई, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र रोडासर, तहसील–खेतडी जिला झुंझुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा उसका स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से 550 किलोमीटर दूर उप स्वास्थ्य केन्द्र, धोलासर लोहावट, फलौदी किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उक्त आलौच्य आदेश बिना प्रशासनिक आवश्यक्ता के निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समायोजित करने के आशय से जारी किया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा जारी आलौच्य आदेश की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 4 ने आदेश दिनांक 21.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के पति के वर्ष 2008 में ब्रेनहेमरेज हुआ था जिसका दो बार ऑपरेशन हो चुका है और उनके सिर की हड्डी निकाल रखी है तथा उसके पति के शरीर के एक हिस्से में पैरालिसिस भी हो गया था जिसका निरन्तर उपचार चल रहा है एवं अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। अपीलार्थी एक अल्प वेतन भोगी कार्मिक है। इन

परिस्थितियों के बावजूद भी अपीलार्थी का दूरस्थ जिले में स्थानान्तरण किया गया है जिससे उनके बच्चों के अध्ययन में भी व्यवधान उत्पन्न होगा। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं प्रत्यर्थी संख्या 4 के द्वारा जारी कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 21.01.2025 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

4. हमारे मत में यह न्यायोचित है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य